प्रकरण संख्या 01/18 रजु दिनांक 12.02.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र रामलाल जाति कोली निवासी चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956 विरुद्ध नामांतरण संख्या 1008 दिनांक 04.07.14 ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर

निर्णय

दिनांक–23.10.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि लैण्डहोल्डर तहसीलदार मासलपुर ने यह रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चैनपुर के खसरा नं. 168/5/1473 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 711 दिनांक 15.11.2005, खसरा नं. 168/3/1475 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 730 दिनांक 20.04.2007 एवं खसरा नं. 168/4/1474 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 733 दिनांक 26.08.2007 से निरोती पुत्र हटीला जाति कोली हाल निवासी चैनपुर के नाम पटवारी श्री पूरणमल मीना द्वारा अपनी लेखनी से दर्ज किया गया है जबकि विक्रय पत्रों के आधार पर एवं वास्तविक रूप से भी क्रेता निरोती पुत्र हटीला मूल रूप से खण्डीप तहसील गंगापुर हाल वजीरपुर का निवासी है। उक्त क्रेता के फौत होने पर उसकी खातेदारी का विरासत नामांतकरण पटवारी श्री पूरणमल मीणा द्वारा अपने पिता गोपाल पुत्र रामलाल की वास्तविक जाति मीना होते हुए भी उसकी जाति कोली दर्ज की जाकर नामांतकरण संख्या 1008 ग्राम पंचायत चैनपुर द्वारा दिनांक 04.07.2014 को स्वीकृत किया गया है जबकि क्रेता के मूल गांव खण्डीप तहसील वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर की खातेदारी भूमि खसरा नं. 324 में विरासत का नामांतकरण जरिये नामांतकरण संख्या 2056 दिनांक 05.12.2014 मुथरी धर्मपत्नि निरोती व कमलेश पुत्री निरोती कोली साकिन देह दर्ज किया गया है। साथ ही निरोती पुत्र हटीला के नाम से क्रय की गई भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा विरासत नामांतरकरण संख्या 1008 में वर्तमान भू–अभिलेख निरीक्षक मासलपुर तत्कालीन गिरदावर चैनपुर श्री पूरणमल मीना जिनके द्वारा अपने पिता गोपाल पुत्र रामलाल के नाम गलत दर्ज किया गया है जो कि जाति से मीना है। इस विरासत नामांतरकरण की विधिवत् जांच नहीं की गई है। इस रेफरेन्स को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत में नामांतरकरण संख्या 711, 730, 733, नकल विक्रय पत्र, नामांतरकरण संख्या 2056, 1008 आदि की नकलें पेश की गई हैं। अंत में राजस्व

जिला कलक्टर
करौली

अभिलेख में दुरूस्ती बाबत् उक्त नामांतरकरण को निरस्त करने हेतु तहसीलदार मासलपुर द्वारा निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई।

अप्रार्थी का सम्मन अदम तामील प्राप्त हुआ है। तामील कुलिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर में गोपाल पुत्र रामलाल कोली के नाम से कोई भी व्यक्ति नहीं रहना बताया है।

बहस पैरौकार सरकार सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपने कथन में रेफरेन्स मीमो को दोहराते हुए कहा कि जो इन्द्राज नामांतरकरणों से जमाबंदी में हुए हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। गोपाल पुत्र रामलाल जाति कोली ग्राम चैनपुर में न कभी पूर्व में रहा है न वर्तमान में रहता है जो गोपाल पुत्र रामलाल कोली बताया गया है वह श्री पूरणमल मीना, तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक चैनपुर के पिता का नाम गोपाल पुत्र रामलाल है जो जाति से मीना है। इसी को आधार मानकर अपने नाम इस भूमि का इन्द्राज करवाय गया है। रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पैरोकार सरकार एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। ग्राम चैनपुर के खसरा नं. 168 / 5 / 1473 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 711 दिनांक 15.11.2005, खसरा नं. 168 / 3 / 1475 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 730 दिनांक 20.04.2007 एवं खसरा नं. 168 / 4 / 1474 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 733 दिनांक 26.08.2007 से निरोती पुत्र हटीला जाति कोली हाल निवासी चैनपुर के नाम पटवारी श्री पूरणमल मीना द्वारा अपनी लेखनी से दर्ज किया गया है जबकि विक्रय पत्रों के आधार पर एवं वास्तविक रूप से भी क्रेता निरोती पुत्र हटीला मूल रूप से खण्डीप तहसील गंगापुर हाल वजीरपुर का निवासी है। उक्त क्रेता के फौत होने पर उसकी खातेदारी का विरासत नामांतकरण संख्या 1008 दिनांक 04.07.2014 के कॉलम नं. 9 में पूर्व में रमेश पुत्र गोपाल जाति कोली हाल निवासी चैनपुर अंकित किया गया जो बाद में गोपाल पुत्र रामलाल दर्ज किया गया है। इस cutting पर किसी भी कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही नामांतरकरण की पुस्त पर बनाये गये सजरे पर भी cutting की गई है जिस पर भी किसी कर्मचारी / अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे साबित हो रहा है कि पटवारी श्री पूरणमल मीणा द्वारा अपने पिता गोपाल पुत्र रामलाल की वास्तविक जाति मीना होते हुए भी उसकी जाति कोली दर्ज की जाकर नामांतकरण संख्या 1008 ग्राम पंचायत चैनपुर द्वारा दिनांक 04.07.2014 को स्वीकृत किया गया है जबकि क्रेता के मूल गांव खण्डीप की खातेदारी भूमि खसरा नं. 324 में विरासत का नामांतकरण जरिये नामांतकरण संख्या 2056 दिनांक 05.12.2014 मुथरी धर्मपत्नि निरोती व कमलेश पुत्री निरोती कोली साकिन देह दर्ज किया गया है

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या 01 / 18 रजु दिनांक 12.02.2018

जिसके आधार पर ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली के नामांतरण संख्या 1008 निर्णय दिनांक 04.07.2014 में गोपाल पुत्र रामलाल कोली के स्थान पर मुथरी धर्मपत्नि निरोती व कमलेश पुत्री निरोती कोली निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर हाल वजीरपुर संशोधित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः तहसीलदार मासलपुर के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर जिला करौली के नामांतरण संख्या 1008 निर्णय दिनांक 04.07.2014 को निरस्त किये जाने एवं ग्राम चैनपुर के खसरा नं. 168 / 5 / 1473 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 711 दिनांक 15.11.2005, खसरा नं. 168 / 3 / 1475 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 730 दिनांक 20.04.2007 एवं खसरा नं. 168 / 4 / 1474 रकबा 5 बीघा का नामांतकरण संख्या 733 दिनांक 26.08.2007 के खातेदार श्री निरोती पुत्र हटीला जाति कोली निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर हाल वजीरपुर के फौत होने पर उक्त भूमियों का नामांतरण खातेदार श्री निरोती के वारिसान मुथरी धर्मपत्नि निरोती व कमलेश पुत्री निरोती कोली निवासी खण्डीप तहसील गंगापुर हाल वजीरपुर दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जावे। साथ ही राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा इस प्रकरण में निर्णय पारित नहीं होने तक इस भूमि का अन्य किसी को रहन / वय नहीं हो एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तहसीलदार मासलपुर को पाबंद किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मासलपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली